अपील / आरटीआई / 16 / 2025

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

श्री सन्तोष कुमार निवासी मोहल्ला गोपालगढ, सेढ के मढ के पास, भरतपुर
मो. नं. 9828629491

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 09.04.2026

अपीलार्थी श्री सन्तोष कुमार निवासी मोहल्ला गोपालगढ, सेढ के मढ के पास, भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन अपील सं0 060645801431036 इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी / अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्रांक / कोर्ट / 26 / 176 दिनांक 01.04.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर से जबाब पत्र क्रमांक नासु / भरत. / आरटीआई / 2026 / 1144 दिनांक 08.04.2026 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का अपील में कथन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित समयावधि समय 30 दिन समाप्त हो गया है कृपया सूचना उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया, लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब में उल्लेख किया है कि :—

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 16 / 2026
सन्तोष कुमार बनाम लो.सू.अ. प्रभारी अधि. नागरिक सुरक्षा कलै. भरतपुर

''....जॉच उपरान्त प्रार्थी का आर.टी.आई. आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया, जिसके कारण आवेदक को वॉछित सूचना समय पर दिया जाना सम्भव नहीं हो सका। अब अपील के साथ प्राप्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तृतीय पक्ष से सम्बन्धित सूचना चाही गई है। सूचना का अधिकार 2005 की धारा 11 के तहत तृतीय पक्ष की सूचना नहीं दी जा सकती है। उक्तानुसार जबाब से प्रार्थी का कार्यालय के पत्रांक 1060 दिनांक 06.04.2026 से जरिये पत्र प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है। अपील को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया है........।''

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब के साथ संलग्न पत्र जो कि प्रार्थी/अपीलार्थी को भेजा गया है के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सन्दर्भ में वॉछित सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण दिये वॉछित सूचना दिये जाने से इन्कार किया है एवं इस बाबत् कार्यालय के पत्रांक 1060 दिनाक 06.04.2026 से प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किया जाना उचित पाते है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा कलक्ट्रेट भरतपुर एवं अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर